न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /18/2019

1—हरीसिंह
2—राजनसिंह
3—महावीरसिंह
4—मुकेश
5—जगदीश
6—सतीश

पुत्रगण पुरनसिंह जाति लोधा निवासी ग्रांम बझेरा तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्टान

बनाम

1—गेल इण्डिया लिमिटेड भारत सरकार
2—तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत बाबत नामान्तकरण संख्या 485 दिनांक 23.9.16 ग्रांम बझेरा, न्यायालय तहसीलदार भरतपुर ।

उपस्थितः—
1—श्री प्रमोद कुमार उपमन, अभिभाषक अपीलान्ट,
2—श्री सतीश चन्द बसंल, रेस्पो.—1,

निर्णय **दिनांक 22.11.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नामान्तकरण संख्या 485 दिनांक 23.9.16 ग्रांम बझेरा, न्यायालय तहसीलदार भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 485 आराजी खसरा नम्बर 565 एव 566 के बटा नम्बर बनाकर 565/1 रकवा 0.01है0 एवं खसरा नम्बर 566/1 0.03 है0 गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के हक में रकवा 0.01 है. का स्वीकार किया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.4.2019 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो. की तलबी की गई। तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्र क्रमांक/एलआर/24/5815 दिनांक 12—9—2024 से नामान्तकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपील में अंकित तथ्यों को

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

दोहराते हुये जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई किये अपीलाधीन इकतरफा मे पारित किया गया है। दिनांक 13.8.19 राजस्व रिकार्ड दिखने पर ज्ञात हुआ कि विवादित नामान्तकरण नियम के विपरित दर्ज किया गया है। नकल वगै0 अपील जानकारी होने की दिनांक 13.8.2019 से अपील पेश की गई है। अपील की देरी को माफ करने के लिये म्याद प्रार्थना पत्र धारा 5 पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक तर्क है कि अपीलान्ट की खसरा नम्बर 566/0.15 है0 का बट्टा नम्बर 566/1 बनाया जाकर रकबा 0.03 ऐयर पर गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की खातेदारी गलत दर्ज कर दी गई है। आराजी को अवाप्त नही किया और नाहीं मुआवजा दिया गया है। तहत न्यायालय ने नामान्तकरण किस आधार पर किस आदेश से दर्ज किया गया है इसका कोई उल्लेख नामान्तकरण में नहीं है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त करता चला आरहा है। अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण 485 को निरस्त किया जाकर गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जावे।

रेस्पो0संख्या 1 अभिभाषक ने बताया कि इण्डियन आयल कॉरपोरेशन लि0 पैट्रोलियम लि0 उत्पाद के परिवहन के लिय पाईप लाईन विछाता है हम इस भूमि के अर्जन के लिये मआकवजा प्रदान करते हैं तथा इस जमीन को अपने नाम पर नांमातरित नहीं कराते हैं इस भूमि का मालिकाना हक मूल खातेदार के पास ही रहता है हमारे पास केवल पाइपलाईन के रखरखाव तथा सर्वेक्षण से संबन्धित कार्य करने का अधिकार होता है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि काश्तकार इस जमीन पर कोई पक्का निर्माण, किसी भी प्रकार का कन्सट्रक्शन जैसे टेंक वगे0 का निर्माण नहीं करेगा तथा पड़े वगे0 नहीं लगायेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 485 दिनांक 23.9.2016 का अवलोकन किया गया । नामान्तकरण अंकित खसरा नम्बर 566 के बटा नम्बर बनाकर रकवा 0.03 ऐयर पर गेल (इडिया)लिमिटेड भारत सरकार का नाम दर्ज कर दिया गया है जिसे कलमजन कराने का अपीलान्ट ने निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध इण्डिन ऑयल कॉरपोरेशन लि. की ओर से उनके अभिभाषक के कथनों से जाहिर है कि अपीलान्ट की विवादित आराजी में से होकर अन्डर ग्राउन्ड पाईप लाईन पैट्रलियम उत्पाद के परिवहन के लिये डाली गई है, सर्वेक्षण से सबंधित कार्य कने का अधिकारी ही आईओसी के पास है आई. ओ.सी के इस आराजी पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं। इस प्रकार विवादित नामान्तकरण संख्या 485 दिनांक 23.9.2016 के कॉलम नम्बर 9 में हो रहे 566 के बटा नम्बर बनाकर रकवा 0.03 इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0भारत सरकार के इन्द्राज का कलमजन किया जाना उचित पाते हैं, साथ ही अपीलान्ट को पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त पाईप लाईन वाली भूमि पर (1) किसी प्रकार का बिल्डिंग निर्माण या अन्य कोई structure स्थापित नही करेगा, (2) टेंक, कुऑ, बन्ध वगे0 का निर्माण नही करेगा (3) और उक्त भूमि पर किसी प्रकार का पेड़ वगे0 भी नहीं लगायेगा।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 485 दिनांक 23.9.2016 में आराजी खसरा नम्बर 566 के बटा नम्बर बनाकर रकवा 0.03 ऐयर पर हो रहे गेल इण्डिया लिमिटेड भारत सरकार के इन्द्राज को कलमजन किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर